हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल मण्डी के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.04.2016 से 31.03.2017

भाग-एक

1 (क) प्रस्तावना :-

निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) को आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण नियम-2004 की धारा 28(3) के अन्तर्गत विहीत प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एच०एस०जी०-4(डी)1-1/92/2 दिनांक 13.09.2004 के अनुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है। तदानुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के धर्मशाला मण्डल के लेखाओं अवधि 01.04.2016 से 31.03.2017 का अंकेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ता द्वारा इस मण्डल के आहरण एवं वितरण अधिकारी के पद का कार्य निष्पादित किया गया।

क्रम संख्या	अधिशासी अभियन्ता का नाम	अवधि
1	श्री गीता राम ठाकुर	01.04.16 से 23.08.16
2	श्री ललित कुमार	24.08.16 से 31.03.17

(ख) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल मण्डी के लेखाओं अवधि 01.04.2016 से 31.03.2017 तक के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण :-

क्र० सं०	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा संख्या	राशि (₹) लाखों में
1	विविध अग्रिम की समायोजन हेतु शेष राशि	5 (क)	(-)81.11
2	विभिन्न विभागों के निक्षेप कार्यों पर अधिक व्यय	6	1063.33
3	रख-रखाव प्रभार की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	7 (क)	52.71
4	जल प्रभार की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	8	0.91
5	निर्माण कार्य "C/o Police Building under modernization of Police force scheme (SH: C/o Police post at Pandoh)" में ठेकेदार को अनियमित भुगतान	9 (क, ख, घ)	3.02
6	निर्माण कार्य "C/o ITI Building of Chachiot i/c internal/external WS&SI, Rain harvesting tank, septic tank & Dev. Of site" में ठेकेदार को अनियमित भुगतान	10 (क) से (घ)	11.85
7	निर्माण कार्य "C/o PHC at Baga Chanogi, Mandi" में ठेकेदार को अनियमित भुगतान	11 (क) व (ग)	0.75
8	निर्माण कार्य "C/o Kalyan Bhavan at Mandi, SH: C/o	12 (क)	5.08

	Ist and 2nd floor on existing building of Women & Social welfare office" में ठेकेदार को अनियमित भुगतान		
9	निर्माण कार्य "C/o Class room/ computer hall and canteen including internal WS&SI in Govt. College at Barsar" में ठेकेदार को अनियमित भुगतान	15 (क) व (ख)	2.99
10	निर्माण कार्य "C/o Police building under modernisation of Police force scheme (SH: C/o 2 Nos Type-II Residential qtr at Police post Dharmpur" में ठेकेदार को अनियमित भुगतान	16 (क) व (ख)	1.93
13	निर्माण कार्य "C/o Ayurvedic Hospital at Katrain (SH: C/o Ayurvedic Hospital Building i/c WS&SI)" में ठेकेदार का अनियमित भुगतान	19 (क) व (ख)	1.32
14	निर्माण कार्य "C/o PSFS at Shahi Nala, Kullu (SH: C/o 16 Nos cat-III flats with parking floor including WS & SI, C/o 2 Nos 10000 ltr capacity rain water harvesting tank & Development of site." में ठेकेदार को अनियमित भुगतान	21 (क) (ख) व (घ)	5.20
15	बिना निविदायें आमंत्रित किए सामग्री का क्रय करना	26	1.01

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के शेष अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न **परिशिष्ट "क"** में दर्शाई गई है। वर्ष 04/97 से 03/16 तक मण्डल से संबन्धित 69 पैरे शेष हैं जिनका वर्ष वार विवरण निम्नलिखित है :-

क्रम संख्या	वर्ष	शेष पैरों की संख्या	टिप्पणी
1	2000-01	1	आवास बोर्ड से संबन्धित पैरे
2	2001-02	1	
3	2003-04	1	
4	2005-06	2	
5	2006-07	1	
6	2007-08	3	
7	2008-09	1	
8	2009-10	6	
9	2010-11	6	
10	2011-12	8	
11	2012-13	5	
12	2013-14	11	
13	2014-15	12	
14	2015-16	9	
15	1997-98	1	नगर विकास प्राधिकरण से संबन्धित

16	1999-15.01.01	1	नगर विकास प्राधिकरण से संबन्धित
	कुल पैरे	**69**	

अतः अधिशासी अभियंता, आवास एवं शहरी विकास मण्डल मण्डी द्वारा उपरोक्त शेष पैरों में अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त इन पैरों का निस्तारण करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

भाग-दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डी मण्डल के लेखाओं अवधि 01.04.2016 से 31.03.2017 तक का अंकेक्षण कार्य श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी व श्री विद्यासागर, लेखा परीक्षक द्वारा श्री ज्ञान चन्द शर्मा, उप-निदेशक के पर्यवेक्षण में दिनांक 01.02.18 से 14.03.2018 तक मण्डी मे किया गया। माह 10/2016 के लेखाओं का चयन विस्तृत अंकेक्षण हेतु किया गया जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं। अंकेक्षण में आगामी पैराग्राफ में दर्शाये गये अभिलेख के अतिरिक्त समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध करवाये गए।

इसके अतिरिक्त यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण मण्डल के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किए गये अभिलेख के आधार पर किया गया है I मण्डल अधिकारी द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत, अधूरी अथवा सूचना प्रदान न करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उतरदायी नहीं है I विभाग की जिम्मेवारी केवल विस्तृत जांच हेतु चयनित माह तक सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डी मण्डल के लेखाओं अवधि 01.04.2016 31.03.2017 के अंकेक्षण शुल्क को जमा करवाने के लिए आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्यालय को अलग से अनुरोध किया जाएगा।

4 वितीय स्थिति :-

(क) दिनांक 31.03.17 तक हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डी मण्डल की वितीय स्थिति एवं बैंक समाधान विवरणिका का विवरण **परिशिष्ट- "ख"** में दिया गया है।

(ख) बैंक समाधान विवरणी का अंकेक्षण करने के दौरान पाया कि हिमुडा मण्डी द्वारा ₹107250 के निम्नलिखित चैक / ड्राफ्ट UBI खाता संख्या 3621020100004655 से जारी किये गये थे लेकिन लम्बी अवधि व्यतीत होने के पश्चात भी यह चैक भुगतान हेतु बैंक के पास प्रस्तुत नहीं किये गए थे, जोकि अब कालातीत हो चुके हैं। अतः बैंक से पुष्टि के उपरांत इन चैकों की राशि को रोकड़ वही के आय पक्ष में लेना सुनिश्चित करें।

क्रमांक संख्या	चैक / ड्राफ्ट संख्या	राशि
1	00067 दिनांक 07.12.15	100000
2	025049 दिनांक 15.02.16	7250

कुल योग ₹107250

(ग) तलपट की जांच में पाया कि माह मार्च 2017 का प्रारम्भिक शेष ₹14451808.57 के स्थान पर ₹14451775.57 लिया गया था अर्थात तलपट में प्रारम्भिक शेष ₹33 कम लिए गए थे एवं तलपट का मिलान भी इसी शेष से किया गया था। अतः प्रारम्भिक शेष में ₹33 की राशि कम लेने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा इसका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 **(क) विविध अग्रिम (-) ₹81.11 लाख समायोजन हेतु शेष :-**

जांच में पाया कि हिमुडा मण्डल मण्डी के खाते में दिनांक 31.03.17 को मिश्रित अग्रिम (-) ₹8111349/- समायोजन हेतु शेष थी। इस राशि का विस्तृत विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न **परिशिष्ट "ग"** में दर्शाया गया है, जोकि सही प्रतीत नहीं होता है क्योंकि परिशिष्ट में दिये गए विवरणानुसार अग्रिम राशि का समायोजन दी गई अग्रिम राशि से अधिक दर्शाया गया था, जिसके कारण अन्तिम शेष ऋणात्मक दर्शाया गया है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 80 दिनांक 12.03.18 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था, लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः विविध अग्रिम के समायोजन हेतु सही राशि से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

(ख) अन्य अग्रिम राशियाँ :-

दिनांक 31.03.17 को मण्डल के लेखों के अनुसार निम्न अन्य राशियाँ समायोजन हेतु शेष थी :-

क्र०सं०	**अग्रिम विवरण**	**राशि**	**परिशिष्ट**
1	आवास निर्माण अग्रिम	283416	**परिशिष्ट "घ"**
2	गर्म वस्त्र अग्रिम	32820	**परिशिष्ट "ङ"**
3	स्टाफ अग्रिम	41773	**परिशिष्ट "च"**

उपरोक्त अग्रिम से सम्बंधित अभिलेखों की जांच करने पर पाया कि स्टाफ अग्रिम का समायोजन वित वर्ष के अन्त तक होना अपेक्षित है लेकिन परिशिष्ट "च" में वर्णित विवरणानुसार कर्मचारियों के खाते में दिनांक 31.03.17 तक ₹41773 समायोजन हेतु शेष थी, जिनका शीघ्र नियमानुसार समायोजन करवाया जाना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 **विभिन्न विभागों के निक्षेप कार्यों पर दिनांक 31.03.17 तक प्राप्त राशि से अधिक व्यय करने के कारण ₹1063.33 लाख वसूली हेतु शेषः–**

हिमुडा मण्डल मण्डी द्वारा विभिन्न विभागों के निक्षेप (Deposit) कार्यों पर दिनांक 31.03.17 तक कुल प्राप्त राशि से अधिक राशि व्यय करने के कारण ₹1063.33 लाख वसूली हेतु शेष थे। इस राशि का पूर्ण विवरण **परिशिष्ट "छ"** में दिया गया है।

डिपॉजिट कार्यों पर कुल जमा/ प्राप्त राशि से अधिक व्यय करना एक गम्भीर अनियमितता है क्योंकि हिमुडा स्वयं उच्च ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करने के उपरान्त ही व्यय करता है। अतः वर्णित अनियमितता प्रशासन हिमुडा मण्डल के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु

लाई जाती है ताकि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता पर रोक लगाई जा सके तथा हिमुड़ा को निक्षेप कार्यों पर प्राप्त राशि से अधिक व्यय करने के कारण ब्याज के रूप में होने वाली हानि से बचा जा सके। इसके अतिरिक्त उपरोक्त वर्णित अधिक व्यय की राशि की शीघ्र वसूली संबन्धित विभाग से करना सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7 **(क) रख-रखाव प्रभार के ₹52.71 लाख दिनांक 31.03.17 तक वसूली हेतु शेष :-**

हिमुडा मण्डल मण्डी के अधीन विभिन्न आवासीय कलौनियों से संबन्धित अभिलेखों का अंकेक्षण करने पर पाया कि इन परिसरों से दिनांक 31.03.17 तक रख-रखाव प्रभार के रूप में ₹5270550 वसूली हेतु शेष थे जिसका कलौनी वार विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र०सं०	**कलौनी का नाम**	**उपमण्डल क नाम**	**दिनांक 31.03.17 को वसूली योग्य राशि (₹)**
1	आवासीय बस्ती धोन्दी,	मण्डी	299543
2	आवासीय बस्ती सन्यारड,	मण्डी	183741
3	आवासीय बस्ती भ्यूली,	मण्डी	668830
4	आवासीय बस्ती दड़ूही,	हमीरपुर	161448
5	आवासीय बस्ती फेस-1 एवं फेस-2	बिलासपुर	959788
6	आवासीय बस्ती शाही नाला,	कुल्लू	553474
7	आवासीय बस्ती देवता ग्राउंड,	कुल्लू	521224
8	आवासीय बस्ती व्यासा मोड,	कुल्लू	1922502
	कुल राशि		**5270550**

उपरोक्त विवरण के अवलोकन से स्वतः ही स्पष्ट है कि मण्डल द्वारा विभिन्न आवासीय परिसरों से रखरखाव प्रभार की वसूली ठीक ढंग से नहीं की जा रही है और न ही इतनी अधिक राशि की वसूली हेतु उचित एवं कारगर कदम उठाये जा रहे हैं। परिणामस्वरूप वर्ष 2016-17 में यह राशि 2015-16 की तुलना में ₹4385280 से बढ़कर ₹5270550 पहुँच गई है। अगर उपरोक्त राशि की वसूली हेतु कोई उचित कदम न उठाए गए तो इस राशि की वसूली करना मुश्किल हो जाएगा। अतः यह प्रकरण हिमुडा प्रबन्धन के विशेष ध्यान में नियमानुसार आगामी उचित कार्यवाही करने हेतु लाया जाता है।

(ख) रख-रखाव प्रभार की बकाया राशियों पर देय ब्याज निर्धारित दर की अपेक्षा कम दरों पर मांग व वसूली करने सम्बन्धी अनियमितताः—

रख-रखाव प्रभारों की वसूली से संबन्धित नियमों के अनुसार यदि बिल जारी करने के 30 दिनों के भीतर उपभोक्ता द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो इसके पश्चात देय राशि पर 14% की दर से ब्याज/अधिभार वसूल किया जाना भी अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया कि उप मण्डल कुल्लू की आवासीय कलौनी शाही नाला, देवता ग्राउंड व व्यासा मोड के रख-रखाव प्रभारों की देय राशि का भुगतान उपभोक्ता द्वारा बिल जारी करने के 30 दिनों के उपरांत व छह महीनों के भीतर निर्धारित 14% की अपेक्षा करने पर केवल 12% की दर से ब्याज/अधिभार (छह माह के लिए 6%) लगाया गया था। जिसके परिणामस्वरूप हिमुडा को 2% ब्याज/अधिभार के रूप में होने वाली वितीय हानि से इंकार नहीं किया जा सकता है। अत: नियमों की अवहेलना करके रख-रखाव प्रभारों के रूप में देय राशियों को वसूल करने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 59 दिनांक 17.02.18 द्वारा अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में पत्र संख्या HIMUDA/MD/AB/LAD2016-7151 दिनांक 14.03.18 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त वर्णित कलौनियों के रख-रखाव प्रभारों के संशोधित बिल जारी कर दिए जायेंगे। अत: प्रत्युत्तर के अनुरूप अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाने के साथ–2 भविष्य में इस प्रकार की चूक को रोकने हेतु उचित कदम उठाया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

8 विभिन्न आवसीय कलौनियों से जल प्रभार के रूप में ₹0.91 लाख दिनांक 31.03.17 तक वसूली हेतु शेष :-

हिमुडा मण्डल मण्डी के अधीन विभिन्न आवासीय परिसरों के जल प्रभार के अभिलेखों का अंकेक्षण करने पर पाया कि इन परिसरों के जल उपभोक्ताओं से दिनांक 31.03.17 तक ₹91182 जल प्रभार के रूप में वसूली हेतु शेष थे जिस का परिसर वार विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र०सं०	कलौनी का नाम	उपमण्डल का नाम	दिनांक 31.03.17 को वसूली योग्य राशि (₹)
1	आवासीय बस्ती धोन्दी	मण्डी	13654
2	आवासीय बस्ती सन्यारड	मण्डी	17672
3	आवासीय बस्ती दड़ूही	हमीरपुर	3945
4	आवासीय बस्ती नया नगर	हमीरपुर	19936
5	आवासीय बस्ती शाही नाला	कुल्लू	22218
6	आवासीय बस्ती देवता ग्राउंड	कुल्लू	13757
		कुल राशि	**₹91182**

अतः बकाया जल प्रभार की ₹91182 की वसूली के लिए मण्डल समुचित कार्यवाही अमल में लाया जाना सुनिश्चित करें तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

9 कार्य का नाम :- C/o Police Building under modernization of Police force scheme (SH: C/o Police post at Pandoh)

Estimated Cost ₹54,85,611/-

Award amount	₹61,25,529/- Civil work- (11.38% above) WS & SI- (17.05 % above)
Award letter No.	No.Himuda/MD/W-28/2015-1095-1104 Dated 15.06.15
Agreement No.	23 of 2015-16
Name of Contractor	M/s Suresh Pal
Measurement Books	1579,1525,1603
Running Bill	3rd running bill
Time allotted	9 month
Voucher No.	66 Dated 28.10.16

उपरोक्त निर्माण कार्य के तृतीय चलित बिल का अंकेक्षण करने के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई जिसका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

(क) संविदाकार को ₹0.05 लाख का अधिक भुगतान :-

माप पुस्तिका संख्या 1525 के पृष्ठ 91 में ISLC 75 की मात्रा 2 x2x3=12 Rmt. के स्थान पर 24 Rmt. दर्ज की गई थी परिणमतः ISLC 75 की दर्ज मात्रा का कुल योग 91.10 रनिंग मीटर की अपेक्षा 103.10 रनिंग मीटर दर्शाया गया था और 519.27 कि०ग्रा० (91.10 X 5.70) के स्थान पर 587.67 कि०ग्रा० (103.10 X 5.70) लेकर माप पुस्तिका संख्याः 1579 के पृष्ठ 41 में अग्रेनित किया गया जिसके परिणाम स्वरूप संविदाकार को ₹4856/- (68.40 कि०ग्रा० X 71) का अधिक भुगतान किया गया है। अतः अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) न्याय संगत दरों से अधिक दरों पर कार्य का आबंटन करने के फलस्वरूप ₹0.39 लाख की वितीय हानि :-

उपरोक्त कार्य के आबंटन के दौरान न्यायसंगत दरों को नजर अन्दाज किया गया था एवं निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु संविदाकार के पक्ष में न्यायसंगत दरों से अधिक दरें अनुमोदित करके संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया प्रतीत होता है जिसके कारण मण्डल को निर्माण कार्य की निम्नलिखित मदों की अनुमानित मात्रा के आधार पर ₹39043/- का अधिक भुगतान होने की सम्भावना है । अतः न्यायसंगत दरों से अधिक पर कार्य का आबंटन करने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वास्तविक राशि की गणना मण्डल स्तर पर करके वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित किया जाएः–

मद संख्या	**मद का विवरण**	**अनुमानित मात्रा**	**न्यायसंगत दरें (₹)**	**भुगतान हेतु अनुमोदित दरें (₹)**	**सम्भावित अधिक भुगतान**
13	Providing tor steel for RCC work	16970.75 किलोग्राम	60.10	62	32244
31	P/f 200mm wide & 19mm thick block	92.75 Rmtr	320	350	2783

	board pelmets				
41	P/f 19mm thick water proof commercial board in shelves	69.24 Square mtr	1042	1100	4016
				कुल योग	**₹39043**

(ग) कार्य के निष्पादन हेतु समय विस्तार की स्वीकृति प्रदान न करना :-

उपरोक्त कार्य के सम्पूर्ण निष्पादन हेतु दिनांक 20.03.16 तक का समय दिया गया था जबकि दिनांक 31.03.17 तक संविदाकार द्वारा कार्य पूरा नहीं किया गया था एवं कार्य के निष्पादन हेतु समय विस्तार की स्वीकृति भी प्रदान नहीं की गई थी। अतः अनुबन्ध की क्लाज-2 के अनुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित थी क्योंकि संबन्धित विभाग द्वारा समय-2 पर राशि मण्डल के खाते में जमा करने के बावजूद निर्माण कार्य पूर्ण न होने के कारण विभाग भवन का उपयोग करने से वंचित रहा एवं संबन्धित विभाग के खाते से राशि का आहरण करने से ब्याज के रूप में भी हानि हुई । अतः हिमुडा मण्डल मण्डी द्वारा कार्य को समय पर पूरा करवाने हेतु नियमों के अनुसार कार्यवाही न करके संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया प्रतीत होता है जिसके सम्बन्ध में पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा देरी के कारण हुई हानि की भरपाई उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित किया जाए।

(घ) कार्य के तृतीय चलत बिल तक ₹2.58 लाख का सेवा कर के रूप में अनियमित भुगतान :-

उक्त कार्य के आबंटन पत्र की शर्त संख्या 11 में स्पष्ट रूप में लिखा गया था कि " Service tax will be charged extra" और उक्त कार्य की न्यायसंगत दरों का अवलोकन करने पर पाया कि न्यायसंगत दरों का निर्धारण भी 12.36% on 40% "X" की दर से सेवा कर को जोड़ कर किया गया था तथा जिन दरों के आधार पर संविदाकार द्वारा प्रस्तुत दरों को Justify किया गया था किन्तु उक्त कार्य के विभिन्न चलत बिलों में देय सेवा कर की सम्बन्धित विभाग को अदायगी ठेकेदार के बिल से वसूली करने की अपेक्षा हिमुडा के मण्डी मण्डल द्वारा अलग से अपनी निधि से करने के कारण ठेकेदार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया प्रतीत होता है, जिससे मण्डल को तृतीय चलत बिल तक निम्नविवरण अनुसार ₹257606 की हानि हुई है।

प्रथम चलित बिल :	₹135549/-
दूसरा चलित बिल :	₹61745/-
तृतीय चलित बिल :	₹60312/-
कुल योग	**₹257606**

उक्त अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 57 दिनांक 17.02.18 द्वारा अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में पत्र संख्या HIMUDA/MD/AB/LAD-2016-7146 दिनांक 14.03.18 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त अनियमितता पर शीघ्र कार्यवाही की जाएगी । अतः वर्णित हानि की भरपाई उचित स्त्रोत से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 **कार्य का नाम :-** C/o ITI Building of Chachiot i/c internal/external WS&SI, Rain harvesting tank, septic tank & Dev. Of site

Award amount	₹2,44,02,963/- Civil work- (3.53% above) WS & SI- (195.95 % above)
Award letter No.	No.Himuda/MD/W-28/2012-379-89 Dated 23.04.13
Agreement No.	22 of 2013-14
Name of Contractor	M/s Narain Dass Naik
Measurement Books	1572,1573
Running Bill	11^{th} running bill
Time allotted	One Year
Voucher No.	24 Dated 15.10.16

उपरोक्त निर्माण कार्य के 11वें चलत बिल का अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

(क) मिट्टी की खुदाई में निकले आरडीनरी क्वारिड स्टोन की भण्डार प्रविष्टि एम० ए० एस० रजिस्टर में न लेने के फलस्वरूप ₹0.14 लाख की वितीय हानि

उपरोक्त कार्य के निष्पादन के दौरान 11वें चलत बिल तक अनुबन्धित मद "cutting in earth work" में 391.23 cubic meter मिट्टी की खुदाई हेतु ₹42644 का भुगतान संविदाकार को किया गया था। अंकेक्षण में पाया कि खुदाई में निकले पत्थरों की वसूली न तो संविदाकार से पत्थर जारी करके की गई थी और न ही पत्थरों को एम० ए० एस० रजिस्टर में दर्ज किया गया था। जबकि मान्य सिद्धान्त के अनुसार मिट्टी की खुदाई का न्यूनतम 10 % भाग आरडीनरी क्वारिड स्टोन / पत्थरों के रूप में लिया जाना अपेक्षित था। जोकि कुल मिट्टी की खुदाई 391.23 cubic meter का 39.12 cubic meter बनता है। अतः इस अनियमितता के कारण निर्माण मण्डल को निम्न विवरणानुसार कुल ₹14176 (39.12 X 362.36) की वितीय हानि हुई है जिसका नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वर्णित हानि की भरपाई उचित स्त्रोत से सुनिश्चित की जाएः–

एच०पी०एस०आर० 2009 के अनुसार आरडीनरी क्वारिड स्टोन की निर्धारित दर ₹350/- प्रति घन मीटर, ओवरआल प्रीमियम 3.53 % above

कुल दर प्रति घन मीटर 350+3.53% above = ₹362.36 प्रति घन मीटर

कुल हानिः 39.12m3x₹362.36=₹14176

(ख) न्याय संगत दरों से अधिक दरों पर कार्य का आबंटन करने के फलस्वरूप ₹2.53 लाख की वितीय हानि :-

उपरोक्त कार्य के आबंटन के दौरान न्यायसंगत दरों को नजर अन्दाज किया गया था एवं निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु संविदाकार के पक्ष में न्यायसंगत दरों से अधिक दरें अनुमोदित करके संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया प्रतीत होता है जिसके परिणामस्वरूप मण्डल को निर्माण कार्य की निम्नलिखित मदों की अनुमानित मात्रा के आधार पर ₹253401 का अधिक भुगतान होने की सम्भावना है। अतः न्यायसंगत दरों से अधिक दर पर कार्य का आबंटन करने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वास्तविक अधिक भुगतान की

राशि की गणना मण्डल स्तर पर करके राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित किया जाएः—

मद सं0	**मद का विवरण**	**अनुमानित मात्रा**	**न्यायसंगत दरें (₹)**	**भुगतान हेतु अनुमोदित दरें (₹)**	**सम्भावित अधिक भुगतान (₹)**
31	S/F plain glass 4mm thick with putty & nails including carriage of material in all lead & lift.	289.53 Square mtr	638.35	759	34932
38	P/f 75mmX60mm moulded hand rails in straight length complete.	29.92 Rmtr	746.85	800	1590
77	6mm cement plaster	2303.36 Square mtr	73.20	90	38696
79(b)	15 mm cement plaster 1:6	2746.81 Square mtr	101.90	162	165083
88	Add extra over item of cement plaster work	619 pack	50.80	60	5695
6(b) Anne x.II	P/F sand cast iron, 100mm nominal size	52.02 Rmtr	716.65	859	7405
				कुल योग	₹253401

(ग) कार्य के 13वें चलत बिल तक ₹8.87 लाख का सेवा कर के रूप में अनियमित भुगतान:-

उक्त कार्य के आबंटन पत्र की शर्त संख्या 9 में स्पष्ट रूप में लिखा गया था कि " You have agreed not to claim anything extra on account of Service tax from the HIMUDA" और उक्त कार्य की न्यायसंगत दरों का अवलोकन करने पर पाया गया कि न्यायसंगत दरों का निर्धारण भी 12.36% on 40% "X" की दर से सेवा कर को जोड़ कर किया गया था। तथा इन्हीं दरों के आधार पर संविदाकार द्वारा प्रस्तुत दरों को Justify किया गया था परन्तु उक्त कार्य के विभिन्न चलत बिलों में देय सेवा कर की सम्बन्धित विभाग को अदायगी ठेकेदार के बिल से वसूली करने की अपेक्षा हिमुडा के मण्डी मण्डल द्वारा अलग से अपनी निधि से करने के कारण ठेकेदार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया प्रतीत होता है, जिससे निर्माण मण्डल को 13वें चलत बिल तक निम्नविवरणानुसार ₹887331 की हानि हुई है।

6th Running bill : ₹1,91,548/-
7th Running bill : ₹2,02,412/-
8th Running bill : ₹1,92,370/-
9th Running bill : ₹1,36,591/-
10th Running bill : ₹67,508/-
11th Running bill : ₹34,369/-

12th Running bill : ₹18,963/-
13th Running bill : ₹43,570/-

कुल योग ₹887331

उक्त वर्णित अनियमितता का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा हानि की भरपाई उचित स्त्रोत से करनी सुनिश्चित की जाए।

(घ) अतिरिक्त मद की दर का निर्धारण नियमों के अनुसार न करने के परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹0.30 लाख का अधिक भुगतान :-

उक्त कार्य में एक अतिरिक्त मद " Excavation in earth work & filling in 15cm layer in foundation" का निष्पादन किया गया था, लेकिन अंकेक्षण में पाया कि उक्त मद की दर का निर्धारण Agreement clause 12 (ii) मे निर्धारित नियमों के अनुसार नहीं किया गया था। जिस के अनुसार दर का निर्धारण अनुबन्ध की Similar मद संख्या 3 " Excavation in foundation, trenches etc" की दर के Premium के आधार पर निम्नविवरणानुसार ₹122. 37 Per m3 किया जाना अपेक्षित था। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त मद की दर का अधिक निर्धारण करके ठेकेदार को ₹29850/- (430.99 CUM X 69.26 (191.63-122.37) का अनुचित लाभ प्रदान किया गया हैः–

Extra Item Excavation in earth work & filling in 15cm layer in foundation	**Similar Class Item Excavation in foundation,trenches etc (Item No. 3)**	**निर्धारित दर**	**भुगतान योग्य दर**
HPSR-2009 (07060200) ` 87.15/ - +115.55 (lead) = 202.70	SR-2009 (07040000) ₹ 180.55/- Awarded Rate : ₹109/-	₹191.63 P.Cum	109/180.55 X 202.70 = ₹122.37 P.Cum

उक्त अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 5 5 दिनांक 1 6.02.18 द्वारा अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में पत्र संख्या HIMUDA/MD/AB/LAD-2016-7148 दिनांक 14.03.18 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त अनियमितता पर शीघ्र कार्यवाही की जाएगी। अतः वर्णित हानि की भरपाई उचित स्त्रोत से की जाना सुनिश्चित की जाए।

11 कार्य का नाम :- C/o PHC at Baga Chanogi, Mandi

Award amount	₹59,57,111/- Civil work- (36.73% above) WS & SI- (37.17 % above)
Award letter No.	No.Himuda/MD/W-2015-6221-30 Dated 27.02.16
Agreement No.	4 of 2016-17
Name of Contractor	Sh. Revati Ram
Measurement Books	1581,1584
Running Bill	3rd running bill
Time allotted	One Year
Voucher No.	73 Dated 28.10.16

उपरोक्त निर्माण कार्य के तृतीय चलत बिल का अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

(क) मिट्टी की खुदाई में निकले आरडीनरी क्वारिड स्टोन की भण्डार प्रविष्टि एम० ए० एस० रजिस्टर में न लेने के फलस्वरूप ₹0.63 लाख की वितीय हानिः-

उपरोक्त कार्य के निष्पादन के दौरान तृतीय चलत बिल तक अनुबन्धित मद "cutting in earth work" में 1322.20 cubic meter मिट्टी की खुदाई हेतु ₹1,94,363/- का भुगतान संविदाकार को किया गया था। अंकेक्षण में पाया गया कि खुदाई में निकले पत्थरों की वसूली न तो संविदाकार से पत्थर जारी करके की गई थी और न ही पत्थरों को एम० ए० एस० रजिस्टर में दर्ज किया गया था। जबकि मान्य सिद्धान्त के अनुसार मिट्टी की खुदाई का न्यूनतम 10 % भाग आरडीनरी क्वारिड स्टोन / पत्थरों के रूप में लिया जाना अपेक्षित था। जोकि कुल मिट्टी की खुदाई 1322.20 cubic meter का 132.22 cubic meter बनता है। अतः इस अनियमितता के कारण निर्माण मण्डल को निम्न विवरणानुसार ₹63274 (132.22 m3 x ₹478.55) की वित्तीय हानि हुई है जिसका नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वर्णित हानि की भरपाई उचित स्त्रोत से करनी सुनिश्चित की जाएः–

एच०पी०एस०आर० 2009 के अनुसार आरडीनरी क्वारिड स्टोन की निर्धारित दर ₹350/- प्रति घन मीटर, ओवरआल प्रीमियम 36.73 % above

कुल दर प्रति घन मीटर 350+36.73% above =₹478.55 प्रति घन मीटर

कुल हानि 132.22 m3 x ₹478.55=₹63274

(ख) उक्त कार्य में स्टील का क्रय ठेकेदार द्वारा अपने स्तर पर किया गया था एवं तृतीय चलत बिल तक कुल 8220.99 किलोग्राम स्टील का प्रयोग किया जा चुका था जिसके लिए ₹60 प्रति किलोग्राम की दर से ठेकेदार को ₹4,93,259 का भुगतान किया गया था। अंकेक्षण में पाया कि आबंटन पत्र में न तो स्टील क्रय करने बारे कोई शर्त ही जोड़ी गई थी और न ही क्रय स्टील से संबन्धित कोई अभिलेख आवश्यक अंकेक्षण हेतु ही प्रस्तुत किए गये, जिनके अभाव में कार्य में प्रयोग स्टील की गुणवत्ता का पता नहीं चल सका। अतः स्टील के क्रय से संबन्धित पूर्ण अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं उक्त कार्य में ठेकेदार द्वारा अपने स्तर पर स्टील का क्रय करने का औचित्य भी स्पष्ट करते हुए भविष्य में आबंटन पत्र में ही स्टील के प्रयोग/ क्रय से संबन्धित शर्त जोड़ना सुनिश्चित करें।

(ग) कार्य के तृतीय चलत बिल तक ₹0.12 लाख का सेवा कर के रूप में अनियमित भुगतान :-

उक्त कार्य के आबंटन पत्र की शर्त संख्या 11 में स्पष्ट रूप में लिखा गया था कि "Service tax & SBC as applicable shall be recovered and you will not claim anything extra on this account" लेकिन उक्त कार्य की न्यायसंगत दरों का अवलोकन करने पर पाया कि न्यायसंगत दरों का निर्धारण भी 12.36% on 40% "X" की दर से सेवा कर को जोड़ कर किया गया था तथा इन्हीं दरों के आधार पर संविदाकार द्वारा प्रस्तुत दरों को Justify किया गया था परन्तु उक्त कार्य के विभिन्न चलत बिलों में देय सेवा कर की सम्बन्धित विभाग को

अदायगी ठेकेदार के बिल से वसूली करने की अपेक्षा हिमुडा के मण्डी मण्डल द्वारा अलग से अपनी निधि से करने के कारण ठेकेदार को अनुचित लाभ प्रदान किया प्रतीत होता है, जिससे निर्माण मण्डल को तृतीय चलत बिल तक ₹11856 की हानि हुई है। अतः इस अनियमितता का नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा हानि की भरपाई उचित स्त्रौत से करनी सुनिश्चित की जाए।

12 **कार्य का नाम :-** C/o Kalyan Bhavan at Mandi, SH: C/o Ist and 2nd floor on existing building of Women & Social welfare office

Estimated Cost	₹1,13,83,733/-
Award amount	₹1,13,77,714/- Civil work- (1.88% below)
	WS & SI- (335.49 % above)
Award letter No.	No.Himuda/MD/W-28/2014-6315-24 Dated 24.02.15
Agreement No.	12 of 2014-15
Name of Contractor	Pankaj Gupta
Measurement Books	1554,1580,1602
Running Bill	5th running bill
Time allotted	18 month
Voucher No.	34 Dated 20.10.16

उपरोक्त निर्माण कार्य के पांचवें चलत बिल का अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

(क) कार्य के पांचवें चलित बिल तक ₹5.08 लाख का सेवा कर के रूप में अनियमित भुगतान :-

उक्त कार्य के आबंटन पत्र की शर्त संख्या 11 में स्पष्ट रूप में लिखा गया था कि “ Service tax as applicable will be deducted” और उक्त कार्य की न्यायसंगत दरों का अवलोकन करने पर पाया कि न्यायसंगत दरों का निर्धारण भी 12.36% on 40% “X” की दर से सेवा कर को जोड़ कर किया गया था तथा इन्हीं दरों के आधार पर संविदाकार द्वारा प्रस्तुत दरों को Justify किया गया था परन्तु उक्त कार्य के विभिन्न चलत बिलों में देय सेवा कर की सम्बन्धित विभाग को अदायगी ठेकेदार के बिल से वसूली करने की अपेक्षा हिमुडा के मण्डी मण्डल द्वारा अलग से अपनी निधि से करने के कारण ठेकेदार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया प्रतीत होता है, जिससे निर्माण मण्डल को पांचवें चलत बिल तक निम्नविवरणानुसार ₹508133/- की हानि हुई है। अतः वर्णित अनियमितता का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा हानि की भरपाई उचित स्त्रौत से करनी सुनिश्चित की जाएः–

1	st Running bill	:	₹75454/-
2	nd Running bill	:	₹55929/-
3	rd running bill	:	₹131845/-
4	th running bill	:	₹111122/-
5	th running bill	:	₹133783/-

कुल योग ₹508133

(ख) उक्त निर्माण कार्य में सविंदाकार से निष्पादित करवाई गई अतिरिक्त मदों के दर विश्लेषण (Analysis of rates) अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि एक गंभीर अनियमितता है क्योंकि इसके अभाव में ठेकेदार को इन मदों की भुगतान की गई दरों की सत्यापना अंकेक्षण में सम्भव न हो सकी। अतः निम्नविवरण अनुसार वर्णित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करके सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाएः–

1. P/f aluminium amodised powder coated grills.
2. P/f Bakelite sheet panel
3. P/f Glavanased M.S.Wire gauge.
4. P/f 4mm thick E. Board.

उक्त अनियमितता की सूचना अधिशाषी अभियन्ता को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 56 दिनांक 1 6.02.18 द्वारा दी गई थी, जिसके प्रत्युत्तर में पत्र संख्या HIMUDA/MD/AB/LAD-2016-7147 दिनांक 14.03.18 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त अनियमितता पर शीघ्र कार्यवाही की जाएगी।

13 **कार्य का नाम :-** C/o Addition toilet and minor repair of existing building of Distt Ayurvedic Office at Mandi.

Estimated Cost	₹2,66,269/-
Award amount	` 3,96,294/- Civil work- (50.32% above) WS & SI- (43.27 % above)
Award letter No.	No.Himuda/MD/W-28/2015-4484-92 Dated 29.11.15
Agreement No.	4 of 2015-16
Name of Contractor	Sh. Pawan Kumar
Measurement Books	1526
Running Bill	2nd & Final bill
Time allotted	3 month
Voucher No.	37 Dated 22.10.16

उपरोक्त निर्माण कार्य के दूसरे एवं अन्तिम बिल का अंकेक्षण करने के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

(क) कार्य के निष्पादन हेतु समय विस्तार की स्वीकृति प्रदान न करना :-

उपरोक्त कार्य के सम्पूर्ण निष्पादन हेतु दिनांक 14.03.16 तक का समय दिया गया था जबकि उक्त कार्य दिनांक 13.04.16 को सम्पूर्ण हुआ था लेकिन निर्धारित समय सीमा के पश्चात कार्य के निष्पादन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय विस्तार की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी। अतः समय विस्तार की स्वीकृति न देने का या तो औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अनुबन्ध की क्लाज-2 के अनुसार ठेकेदार के विरूद्ध अपेक्षित कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ख) उक्त कार्य के अन्तिम बिल तक कुल ₹434140 का व्यय किया गया था जबकि कार्य का आबंटन ₹396294 में किया गया था, अर्थात उक्त कार्य में कुल ₹37846 का विचलन था। अतः

अन्तिम बिल के भुगतान से पूर्व उक्त विचलन की सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेना आवश्यक थी, जोकि नहीं ली गई थी। अतः अब वर्णित अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेकर नियमित किया जाए।

14 **कार्य का नाम :-** C/o 4 Nos T-II Residence i/c WS&SI, Deptt of Police Dhangsidhpur

Estimated Cost	₹35,97,207/-
Award amount	₹45,59,869/- Civil work- (22.70% above) WS & SI- (203.48 % above)
Award letter No.	No.Himuda/MD/W-28/2013-3644-53 Dated 21.10.13
Agreement No.	29 of 2013-14
Name of Contractor	Sh. Chetan Vaidya
Measurement Books	1560,1405
Running Bill	4th & Final bill
Time allotted	6 month
Voucher No.	86 Dated 29.10.16

उपरोक्त निर्माण कार्य के चतुर्थ एवं अन्तिम बिल का अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(क) मिट्टी की खुदाई में निकले आरडीनरी क्वारिड स्टोन की भण्डार प्रविष्टि एम० ए० एस० रजिस्टर में न लेने के फलस्वरूप ₹0.18 लाख की वितीय हानिः-

जांच में पाया कि उपरोक्त कार्य के निष्पादन के दौरान चतुर्थ एवं अन्तिम बिल तक अनुबन्धित मद " cutting in earth work" में 428.84 cubic meter मिट्टी की खुदाई हेतु ₹64326 का भुगतान संविदाकार को किया गया था। अंकेक्षण में पाया गया कि खुदाई में निकले पत्थरों की वसूली न तो संविदाकार से पत्थर जारी करके की गई थी और न ही पत्थरों को एम० ए० एस० रजिस्टर में दर्ज किया गया था जबकि मान्य सिद्धान्त के अनुसार मिट्टी की खुदाई का न्यूनतम 10 % भाग आरडीनरी क्वारिड स्टोन / पत्थरों के रूप में लिया जाना अपेक्षित था। जोकि कुल मिट्टी की खुदाई 428.84 cubic meter का 42.88 cubic meter बनता है। अतः इस अनियमितता के कारण निर्माण मण्डल को निम्न विवरणानुसार ₹18415 (42.88 X 429.45) की वितीय हानि हुई है जिसका नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वर्णित हानि की भरपाई उचित स्त्रोत से करनी सुनिश्चित की जाए:-

एच०पी०एस०आर० 2009 के अनुसार आरडीनरी क्वारिड स्टोन की निर्धारित दर ₹350 प्रति घन मीटर, ओवरआल प्रीमियम 22.70 % above

कुल दर प्रति घन मीटर 350+22.70% above = ₹429.45 प्रति घन मीटर

कुल हानिः 42.88 m3 x ₹429.45=₹18415

(ख) संविदाकर को ₹212 का अधिक भुगतान :-

माप पुस्तिका संख्या 1405 के पृष्ठ 65 की मद संख्या 6 (d) “ Providing form work, Beam,Cantilivers etc.” की निष्पादित कार्य प्रमात्रा 119.90 Sq. Mtr की अपेक्षा 120.80 Sq. Mtr दर्ज की गई थी, जिसे माप पुस्तिका संख्या 1560 के पृष्ठ 14 में अग्रेनित करके ठेकेदार को ₹212 (0.90m2 X ₹235) का अधिक भुगतान कर दिया गया था। अतः वर्णित अनियमितता का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) कार्य के निष्पादन हेतु समय विस्तार की स्वीकृति प्रदान न करना :-

उपरोक्त कार्य के सम्पूर्ण निष्पादन हेतु दिनांक 05.05.14 तक का समय दिया गया था जबकि उक्त कार्य दिनांक 30.11.14 को सम्पूर्ण हुआ था लेकिन निर्धारित समय सीमा के पश्चात कार्य के निष्पादन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय विस्तार की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी। अतः समय विस्तार की स्वीकृति न देने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अनुबन्ध की क्लाज-2 के अनुसार ठेकेदार के विरूद्ध अपेक्षित कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

(घ) उक्त कार्य के अन्तिम बिल तक निम्नलिखित मदों में ₹187190 का अत्याधिक विचलन पाया गया, जिसके लिए ठेकेदार को भुगतान से पूर्व सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेना अपेक्षित थी जोकि नहीं ली गई। अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बिना ठेकेदार को भुगतान करने सम्बन्धी अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित किया जाए अन्यथा नियमानुसार सम्बन्धित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएः–

मद संख्या	मद का विवरण	अनुमानित मात्रा	निष्पादित मात्रा	भुगतान हेतु अनुमोदित दरें (₹)	विचलन (₹)
7	P/L CC 1:4:8	3.42 CUM	17.54 CUM	3600/-	50832
23	RR Masonary	58.82 CUM	80.44 CUM	2800/-	60536
27	Providing weepholes in bricks masonary	11 Nos	50 Nos	150/-	5850
34	P/F 19MM thick water proof commercial board	78.36 Sq. mtr	103.58 Sq. mtr	850/-	21437
74	Finishing wall with water proof	418.40 Sq. mtr	621.59 Sq. mtr	80/-	16255
33 (Annex-	P/L and jointing	20 Rmtr	58.40 Rmtr	450/-	17280

II)	rainforced concrete non-pressure pipe				
34 (Annex-II)	C/o man hole with RCC top slab 1:2:4	3 Nos	6 Nos	5000/-	15000
				कुल योग	₹187190

15 **कार्य का नाम :-** C/o Class room/ computer hall and canteen including internal WS&SI in Govt. College at Barsar.

Estimated Cost	₹31,39,773/-
Award amount	₹45,56,132/- Civil work- (44.86% above)
	WS & SI- (70.04 % above)
Award letter No.	No.Himuda/MD/W-28/2016-1672-81 Dated 21.06.16
Agreement No.	13 of 2016-17
Name of Contractor	Sh. Rakesh Kumar
Measurement Books	1593,1459,1562
Running Bill	2nd Running bill
Time allotted	9 month
Voucher No.	38 Dated 22.10.16

उपरोक्त निर्माण कार्य के दूसरे चलत बिल का अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

(क) मिट्टी की खुदाई में निकले आरडीनरी क्वारिड स्टोन की भण्डार प्रविष्टि एम० ए० एस० रजिस्टर में न लेने के फलस्वरूप ₹0.95 लाख की वितीय हानिः-

उपरोक्त कार्य के निष्पादन के दौरान चतुर्थ एवं अन्तिम बिल तक अनुबन्धित मद "cutting in earth work" में 1885.55 cubic meter मिट्टी की खुदाई हेतु ₹4,05,393/- का भुगतान संविदाकार को किया गया था । अंकेक्षण में पाया गया कि खुदाई में निकले पत्थरों की वसूली न तो संविदाकार से पत्थर जारी करके की गई थी और न ही पत्थरों को एम० ए० एस० रजिस्टर में दर्ज किया गया था । जबकि मान्य सिद्धान्त के अनुसार मिट्टी की खुदाई का न्यूनतम 10 % भाग आरडीनरी क्वारिड स्टोन / पत्थरों के रूप में लिया जाना अपेक्षित था । जोकि कुल मिट्टी की खुदाई 1885.55 cubic meter का 188.56 cubic meter बनता है। अतः इस अनियमितता के कारण निर्माण मण्डल को निम्न विवरणानुसार ₹95602 (188.56m3x₹507.01) की वित्तीय हानि हुई है जिसका नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वर्णित हानि की भरपाई उचित स्त्रोत से करनी सुनिश्चित की जाएः–

एच०पी०एस०आर० 2009 के अनुसार आरडीनरी क्वारिड स्टोन की निर्धारित दर ` 350/- प्रति घन मीटर, ओवरआल प्रीमियम 44.86 % above

कुल दर प्रति घन मीटर 350+44.86% above = ₹507.01 प्रति घन मीटर
कुल हानिः'– 188.56m3x₹507.01=₹95602

(ख) कार्य के पांचवें चलत बिल तक ₹2.03 लाख का सेवा कर के रूप में अनियमित भुगतान :-

उक्त कार्य के आबंटन पत्र की शर्त संख्या 11 में स्पष्ट रूप में लिखा गया था कि " Service tax and SBC as applicable shall be recovered and you will not claim anything extra on this account" और उक्त कार्य की न्यायसंगत दरों का अवलोकन करने पर पाया गया कि न्यायसंगत दरों का निर्धारण भी 12.36% on 40% "X" की दर से सेवा कर को जोड़ कर किया गया था। तथा इन्हीं दरों के आधार पर संविदाकार द्वारा प्रस्तुत दरों को Justify किया गया था परन्तु उक्त कार्य के विभिन्न चलत बिलों में देय सेवा कर की सम्बन्धित विभाग की अदायगी ठेकेदार के बिल से वसूली करने की अपेक्षा हिमुडा के मण्डी मण्डल द्वारा अलग से अपनी निधि से करने के कारण ठेकेदार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया प्रतीत होता है, जिससे निर्माण मण्डल को पांचवें चलत बिल तक निम्नविवरणानुसार ₹202968की हानि हुई है। अतः वर्णित अनियमितता का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा हानि की भरपाई उचित स्त्रौत से सुनिश्चित की जाए।

1st	Running bill :	₹19505/-
2nd	Running bill :	₹90535/-
3rd	running bill :	₹92928/-
	कुल योग	**₹202968**

(ग) उक्त कार्य के अन्तिम बिल तक निम्नलिखित मदों में ₹888708/- का अत्याधिक विचलन पाया गया, जिसके लिए ठेकेदार को भुगतान से पूर्व सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेना अपेक्षित थी जोकि नहीं ली गई। अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बिना ठेकेदार को भुगतान करने सम्बन्धी अनियमितता या तो सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा नियमानुसार सम्बन्धित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएः–

मद संख्या	मद का विवरण	अनुमानित मात्रा	निष्पादित मात्रा	भुगतान हेतु अनुमोदित दरें (₹)	विचलन (₹)
1	Cutting in earth work	735 CUM	1885.55 CUM	215/-	247368
9	P/L CC 1:5:10	198.45 CUM	377.49 CUM	3400/-	608736
15	Stone filling behind retaining walls	42.99 CUM	70.16 CUM	1200/-	32604
				कुल योग	₹888708

उक्त अनियमितता की सूचना अधिशाषी अभियन्ता को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 58 दिनांक 17.02.18 द्वारा दी गई थी, जिसके प्रत्युत्तर में पत्र संख्या HIMUDA/MD/AB/LAD-2016-7149 दिनांक 14.03.18 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त अनियमितता पर शीघ्र कार्यवाही की जाएगी।

16 **कार्य का नाम :-** C/o Police building under modernisation of Police force scheme (SH: C/o 2 Nos Type-II Residential qtr at Police post Dharmpur.

Estimated Cost	₹24,48,435/-
Award amount	₹34,67,220/- Civil work- (40.48% above) WS & SI- (64.86 % above)
Award letter No.	No.Himuda/MD/W-28/2015-3845-54 Dated 20.10.15
Agreement No.	14 of 2015-16
Name of Contractor	Sh. Dharm Singh Thakur
Measurement Books	1515,1588,1589
Running Bill	3rd Running bill
Voucher No.	36 Dated 22.10.16

उपरोक्त निर्माण कार्य के तृतीय चलत बिल का अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(क) मिट्टी की खुदाई में निकले आरडीनरी क्वारिड स्टोन की भण्डार प्रविष्टि एम० ए० एस० रजिस्टर में न लेने के फलस्वरूप ₹0.25 लाख की वितीय हानिः-

उपरोक्त कार्य के निष्पादन के दौरान चतुर्थ एवं अन्तिम बिल तक अनुबन्धित मद “cutting in earth work“ में 508.65 cubic meter मिट्टी की खुदाई हेतु ₹96,643 का भुगतान संविदाकार को किया गया था। अंकेक्षण में पाया गया कि खुदाई में निकले पत्थरों की वसूली न तो संविदाकार से पत्थर जारी करके की गई थी और न ही पत्थरों को एम० ए० एस० रजिस्टर में दर्ज किया गया था। जबकि मान्य सिद्धान्त के अनुसार मिट्टी की खुदाई का न्यूनतम 10 % भाग आरडीनरी क्वारिड स्टोन / पत्थरों के रूप में लिया जाना अपेक्षित था। जोकि कुल मिट्टी की खुदाई 508.65 cubic meter का 50.87 cubic meter बनता है। अतः इस अनियमितता के कारण निर्माण मण्डल को निम्न विवरणानुसार ``₹25012 (50.87m3 x ₹491.68) की वित्तीय हानि हुई है जिसका नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा हानि की भरपाई उचित स्त्रोत से सुनिश्चित की जाए:-

एच०पी०एस०आर० 2009 के अनुसार आरडीनरी क्वारिड स्टोन की निर्धारित दर ₹350/- प्रति घन मीटर, ओवरआल प्रीमियम 40.48 % above

कुल दर प्रति घन मीटर 350+40.48% above = ₹491.68 प्रति घन मीटर

कुल हानिः 50.87m3x ₹491.68=₹25012

(ख) कार्य के पांचवें चलत बिल तक ₹1.68 लाख का सेवा कर के रूप में अनियमित भुगतान :-

उक्त कार्य के आबंटन पत्र की शर्त संख्या 11 में स्पष्ट रूप में लिखा गया था कि " Service tax as applicable shall be recovered and you will not claim anything extra on this account" और उक्त कार्य की न्यायसंगत दरों की जांच में पाया कि न्यायसंगत दरों का निर्धारण भी 12.36% on 40% "X" की दर से सेवा कर को जोड़ कर किया गया था। तथा इन्हीं दरों के आधार पर संविदाकार द्वारा प्रस्तुत दरों को Justify किया गया था परन्तु उक्त कार्य के विभिन्न चलत बिलों में देय सेवा कर की सम्बन्धित विभाग को अदायगी ठेकेदार के बिल से वसूली करके करने की अपेक्षा हिमुडा के मण्डी मण्डल द्वारा अलग से अपनी निधि से करने के कारण ठेकेदार को अनुचित लाभ प्रदान किया किया प्रतीत होता है, जिससे निर्माण मण्डल को चतुर्थ चलत बिल तक निम्नविवरण अनुसार ₹167787 की हानि हुई है। अतः वर्णित अनियमितता का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा हानि की भरपाई उचित स्त्रोत से सुनिश्चित की जाएः–

1	st Running bill :	₹30044/-
2	nd Running bill :	₹50177/-
3	rd running bill :	₹58857/-
4	th running bill :	₹28709/-
	कुल योग	**₹167787**

17 कार्य का नाम :- C/o Health centre at Balh Bihal

Estimated Cost	₹12,31,239/-
Award amount	₹17,53,217/-
Award letter No.	No.Himuda/MD/W-28/2015-4779-87 Dated 04.12.15
Agreement No.	25 of 2015-16
Name of Contractor	Sh. Jeevan Kumar
Measurement Books	1564,1569,1592
Time allowed	9 Month
Running Bill	5th Running bill
Voucher No.	62 Dated 28.10.16

उपरोक्त निर्माण कार्य के पांचवे चलत बिल का अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

(क) सेवा कर के रूप में ₹48389 की कटौती राशि ठेकेदार को वापस लौटानाः–

आबंटन पत्र की शर्त संख्या 11 के अनुसार उक्त कार्य के तृतीय चलत बिल तक संविदाकार से सेवा कर के रूप में ₹48389 की वसूली की गई थी। अंकेक्षण में पाया गया कि उक्त कार्य की न्यायसंगत दरों का निर्धारण भी 12.36% on 40% "X" की दर से सेवा कर को जोड़ कर किया गया था तथा इन्हीं दरों के आधार पर ही संविदाकार द्वारा प्रस्तुत दरों को भी Justify किया गया था किन्तु पांचवें चलित बिल के साथ उक्त सेवा कर की ₹48389 का वापिस भुगतान ठेकेदार को करके अनुचित लाभ प्रदान किया गया प्रतीत होता है। अतः

सेवा कर की अनुबन्ध के प्रावधानों के अन्तर्गत वसूल की गई राशि को वापिस ठेकेदार को लौटाने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस राशि की वसूली उचित स्त्रौत से करनी सुनिश्चित की जाए।

(ख) कार्य के निष्पादन हेतु समय विस्तार की स्वीकृति प्रदान न करना

उपरोक्त कार्य के सम्पूर्ण निष्पादन हेतु दिनांक 19.09.16 तक का समय दिया गया था जबकि उक्त कार्य दिनांक 24.10.16 तक प्रगति पर था लेकिन निर्धारित समय सीमा के पश्चात कार्य के निष्पादन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय विस्तार की स्वीकृति भी प्रदान नहीं की गई थी। अतः समय विस्तार की स्वीकृति न देने का या तो औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अनुबन्ध की क्लाज-2 के अनुसार ठेकेदार के विरूद्ध अपेक्षित कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

18 **कार्य का नाम :-** C/o Health centre Building including WS&SI at Baliah

Estimated Cost	₹12,31,239/-
Award amount	₹ 17,57,653/- Civil work- (41.38% above) WS & SI- (54.73 % above)
Award letter No.	No.Himuda/MD/W-28/2015-4788-96 Dated 04.12.15
Name of Contractor	Sh. Amrit Lal
Measurement Books	1565,1566,1567,1591
Time allowed	9 Month
Running Bill	6th & 7th Running bill
Voucher No.	4 Dated 03.10.16 & 61 Dated 28.10.16

उपरोक्त निर्माण कार्य के छ्ठे चलत बिल का अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(क) सेवा कर के रूप में काटी गई ₹0.50 को संविदाकार को वापिस लौटाना:-

आबंटन पत्र की शर्त संख्या 11 के अनुसार उक्त कार्य के चतुर्थ चलत बिल तक संविदाकार से सेवा कर के रूप में ₹67888 की वसूली की गई थी। अंकेक्षण में पाया गया कि उक्त कार्य की न्यायसंगत दरों का निर्धारण भी 12.36% on 40% “X” की दर से सेवा कर को जोड़ कर किया गया था तथा इन्हीं दरों के आधार पर ही संविदाकार द्वारा प्रस्तुत दरों को भी Justify किया गया था किन्तु छ्ठे चलत बिल के साथ उक्त सेवा कर की राशि में से ₹49569 का वापस भुगतान ठेकेदार को करके अनुचित लाभ प्रदान किया गया प्रतीत होता है। अतः सेवा कर की अनुबन्ध प्रावधानों के अन्तर्गत वसूल की गई राशि को वापस ठेकेदार को लौटाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस राशि की वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) उक्त कार्य में स्टील का क्रय ठेकेदार द्वारा अपने स्तर पर किया गया था एवं सातवें चलत बिल तक कुल 2529.96 किलोग्राम स्टील का प्रयोग किया गया था जिसके लिए ₹55/- प्रति किलोग्राम की दर से ठेकेदार ₹1,39,148 का भुगतान किया गया था। अंकेक्षण में पाया कि आबंटन पत्र में न तो स्टील क्रय करने से संबन्धित कोई शर्त हीं जोड़ी गई थी और न ही क्रय स्टील से संबन्धित कोई अभिलेख आवश्यक अंकेक्षण हेतु ही प्रस्तुत किए गये, जिनके अभाव में कार्य में प्रयोग स्टील की गुणवत्ता का पता नहीं चल सका। अतः स्टील के क्रय से संबन्धित पूर्ण

अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं उक्त कार्य में ठेकेदार द्वारा अपने स्तर पर स्टील का क्रय करने का औचित्य भी स्पष्ट करते हुए भविष्य में आबंटन पत्र में ही स्टील के प्रयोग/ क्रय से संबन्धित शर्त जोड़ना सुनिश्चित करें।

(ग) कार्य के निष्पादन हेतु समय विस्तार की स्वीकृति प्रदान न करना :-

उपरोक्त कार्य के सम्पूर्ण निष्पादन हेतु दिनांक 19.09.16 तक का समय दिया गया था जबकि उक्त कार्य दिनांक 31.03.17 तक प्रगति पर था लेकिन निर्धारित समय सीमा के पश्चात कार्य के निष्पादन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय विस्तार की स्वीकृति भी प्रदान नहीं की गई थी। अतः समय विस्तार की स्वीकृति न देने का या तो औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अनुबन्ध की क्लाज-2 के अनुसार ठेकेदार के विरूद्ध अपेक्षित कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

19 **कार्य का नाम :-** C/o Ayurvedic Hospital at Katrain (SH: C/o Ayurvedic Hospital Building i/c WS&SI)

Estimated Cost	₹20,99,213/-
Award amount	₹31,14,458/- Civil work- (49.58% above) WS & SI- (36.63 % above)
Award letter No.	No.Himuda/MD/W-28/2015-5815-24 Dated 30.01.16
Name of Contractor	Sh. Ashnil Chand Rana
Measurement Books	1625
Running Bill	3rd Running bill
Voucher No.	21 of 10/2017

उपरोक्त निर्माण कार्य के तृतीय चलत बिल का अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:–

(क) न्याय संगत दरों से अधिक दरों पर कार्य का आबंटन करने के फलस्वरूप ₹0.15 लाख की वितीय हानि :-

उपरोक्त कार्य के आबंटन के दौरान न्यायसंगत दरों को नजर अन्दाज किया गया था एवं निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु संविदाकार के पक्ष में न्यायसंगत दरों से अधिक दरें अनुमोदित करके संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया प्रतीत होता है जिसके परिणामस्वरूप मण्डल को निर्माण कार्य की निम्नलिखित मदों की अनुमानित मात्रा के आधार पर ₹14553 का अधिक भुगतान होने की सम्भावना है। अतः न्यायसंगत दरों से अधिक दर पर कार्य का आबंटन करने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वास्तविकता में अधिक भुगतान की राशि की गणना मण्डल स्तर पर करके इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित किया जाए।

मद संख्या	मद का विवरण	अनुमानित मात्रा	न्यायसंगत दरें (₹)	भुगतान हेतु अनुमोदित दरें (₹)	सम्भावित अधिक भुगतान (₹)
8(d)	P/L CC 1:1.5:3	4.59 CUM	5849.50	6400	2527
17(a)	P/F anodized aluminium	606.37 kg	575.60	580	2668

	work for door, for doors window etc.				
24(a)	P/F aluminium tower bolt, 250X10mm	16 Nos	98.60	120	342
(b)	150X10mm	144 Nos	68.20	80	1699
26	P/F bright drawn hooks	34 Nos	56.5	60	119
27	P/F 75mm X 60mm rounded hand rail	6.85 Rmt	630.4	650	134
30	C:C flooring 1:2:4 (a) 40mm thick (b) 40mm thick	15 Sq. mtr 8 Sq. mtr	311.60 355.10	350 360	576 39
31	60 mm thick cement cocrete flooring	19.35 Sq. mtr	574.90	580	99
40	Finishing wall with water proof exterior grade emulsion	201.27 Sq. mtr	87.70	100	2476
2 (Annex-2)	P/F PVC water storage tank	2 Nos	18498	20000	3004
25	P/F stone ware gully trap Grade-1	4 Nos	2282.50	2500	870
				कुल योग	14553

(ख) कार्य के 5वें चलत बिल तक ₹1.18 लाख का सेवा कर के रूप में अनियमित भुगतान

उक्त कार्य के आबंटन पत्र की शर्त संख्या 11 में स्पष्ट रूप में लिखा गया था कि “ Service tax as applicable shall be recovered and will not claim anything extra on account” और उक्त कार्य की न्यायसंगत दरों का अवलोकन करने पर पाया गया कि न्यायसंगत दरों का निर्धारण भी 12.36% on 40% “X” की दर से सेवा कर को जोड़ कर किया गया था। तथा इन्हीं दरों के आधार पर ही संविदाकार द्वारा प्रस्तुत दरों को Justify किया गया था परन्तु उक्त कार्य के विभिन्न चलत बिलों में देय सेवा कर की सम्बन्धित विभाग को अदायगी ठेकेदार के बिल से वसूल करने की अपेक्षा हिमुडा के मण्डी मण्डल द्वारा अलग से अपनी निधि से करने के कारण ठेकेदार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया प्रतीत होता है, जिससे निर्माण मण्डल को 5वें चलत बिल तक निम्नविवरणानुसार ₹117657 की हानि हुई है। जिसका नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा हानि की भरपाई उचित स्त्रौत से करनी सुनिश्चित की जाए।

1st Running bill :	₹54,091/-
2nd Running bill :	₹8,897/-
3rd Running bill :	₹14,796/-
4th Running bill :	₹20,028/-
5th Running bill :	₹19,845/-
कुल योग	₹117657

20 **कार्य का नाम :-** C/o Boundary wall i/c MS gate & Collapsible shutter, Animal Husbandry Deptt.

Estimated Cost	` 3,48,848/-
Award amount	` 5,81,719/- Civil work- (66.75% above)
Award letter No.	No.Himuda/MD/W-28/2015-4493-4501 Dated 29.11.15
Name of Contractor	M/s Onkar Associate
Measurement Books	1144
Running Bill	2nd & Final bill
Voucher No.	74 of 10/2017

उपरोक्त निर्माण कार्य के दूसरे एवं अन्तिम बिल का अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिसका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

(क) कार्य के दूसरे एवं अन्तिम बिल तक ₹0.22 लाख का सेवा कर के रूप में अनियमित भुगतान :-

उक्त कार्य के आबंटन पत्र की शर्त संख्या 11 में स्पष्ट रूप में लिखा गया था कि " Service tax as applicable shall be recovered and will not claim anything extra on account" और उक्त कार्य की न्यायसंगत दरों का अवलोकन करने पर पाया गया कि न्यायसंगत दरों का निर्धारण भी 12.36% on 40% "X" की दर से सेवा कर को जोड़ कर किया गया था तथा इन्हीं दरों के आधार पर ही संविदाकार द्वारा प्रस्तुत दरों को भी Justify किया गया था परन्तु उक्त कार्य के विभिन्न चलत बिलों में देय सेवा कर की सम्बन्धित विभाग को अदायगी संविदाकार के बिल से वसूली करने की अपेक्षा हिमुडा के मण्डी मण्डल द्वारा अलग से अपनी निधि से करने के कारण संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया प्रतीत होता है, जिससे निर्माण मण्डल को 5 वें चलत बिल तक निम्नविवरणानुसार ₹22352 की हानि हुई है जिसका नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा हानि की भरपाई उचित स्त्रोत से करनी सुनिश्चित की जाए।

1	st Running bill :	₹12,902/-
2	nd Running bill :	₹9,450/-
	कुल योग	**₹22352**

21 **कार्य का नाम :-** C/o PSFS at Shahi Nala, Kullu (SH: C/o 16 Nos cat-III flats with parking floor including WS & SI, C/o 2 Nos 10000 ltr capacity rain water harvesting tank & Development of site.

Estimated Cost	₹2,08,34,327/-
Award amount	₹2,48,15,174/- Civil work- (13.29% above) WS & SI- (277.77 % above)
Award letter No.	No.Himuda/MD/W-28/2015-6877-88 Dated 18.03.15
Agreement No.	37 of 2014-15
Name of Contractor	Sh. Chetan Vaidya
Measurement Books	1499,1505,1549,1550,1624
Running Bill	1st to 6th running bill

Time allotted 18 month

उपरोक्त निर्माण कार्य के विभिन्न चलत बिलों का अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई, जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

(क) मिट्टी की खुदाई में निकले आरडीनरी क्वारिड स्टोन की भण्डार प्रविष्टि एम० ए० एस० रजिस्टर में न लेने के फलस्वरूप ₹0.81 लाख की वितीय हानिः-

उपरोक्त कार्य के निष्पादन के दौरान छठे चलत बिल तक अनुबन्धित मद "cutting in earth work" में 2042.77 cubic meter मिट्टी की खुदाई हेतु ₹2,85,988 का भुगतान संविदाकार को किया गया था। अंकेक्षण में पाया गया कि खुदाई में निकले पत्थरों की वसूली न तो संविदाकार से पत्थर जारी करके की गई थी और न ही पत्थरों को एम० ए० एस० रजिस्टर में दर्ज किया गया था। जबकि मान्य सिद्धान्त के अनुसार मिट्टी की खुदाई का न्यूनतम 10 % भाग आरडीनरी क्वारिड स्टोन / पत्थरों के रूप में लिया जाना अपेक्षित था, जोकि कुल मिट्टी की खुदाई 2042.77 cubic meter 204.28 cubic meter बनता है। अतः इस अनियमितता के कारण निर्माण मण्डल को निम्न विवरणानुसार ₹81,001 (204.28 X 396.52) की वितीय हानि हुई है जिसका नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा हानि की भरपाई उचित स्त्रोत से सुनिश्चित की जाएः-

एच०पी०एस०आर० 2009 के अनुसार आरडीनरी क्वारिड स्टोन की निर्धारित दर ` 350/- प्रति घन मीटर, ओवरआल प्रीमियम 13.29 % above

कुल दर प्रति घन मीटर 350+13.29% above = ₹396.52 प्रति घन मीटर

कुल हानिः–204.28 m3 x ₹396.52=₹81001

(ख) संविदाकार को ₹0.04 लाख का अधिक भुगतान :-

माप पुस्तिका संख्या 1624 के पृष्ठ-9 में स्टील की निष्पादित कार्य प्रमात्रा 2069.26 किलोग्राम की अपेक्षा 2146.54 किलोग्राम दर्ज की गई थी एवं माप पुस्तिका संख्य1624 के पृष्ठ 53 में अग्रेनित करके संविदाकार को ₹4405/- (77.28 कि०ग्रा० X ₹57) का अधिक भुगतान कर दिया गया था, अतः वर्णित अनियमितता का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) कार्य के निष्पादन हेतु समय विस्तार की स्वीकृति प्रदान न करना :-

उपरोक्त कार्य के सम्पूर्ण निष्पादन हेतु दिनांक 02.10.16 तक का समय दिया गया था, जबकि अंकेक्षण में पाया गया कि दिनांक 31.03.17 तक कार्य प्रगति पर था। लेकिन निर्धारित समय सीमा के पश्चात कार्य के निष्पादन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय विस्तार की स्वीकृति भी प्रदान नहीं की गई थी। अतः निर्धारित समय अवधि में कार्य पूरा न करने एवं अनुबन्ध की क्लाज-2 के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। अनुबन्ध की क्लाज-2 के अनुसार यदि संविदाकार आबंटित समय में कार्य का निष्पादन नहीं करता है तो अनुमानित टैंडर राशि का 10% भाग के बराबर क्षतिपूर्ति के रूप में दण्ड लगाया जाना अपेक्षित था जोकि उक्त कार्य की टैंडर राशि ₹2,48,15,174/- का ₹24,81,517/- बनता है। इस प्रकार हिमुडा मण्डल मण्डी द्वारा अनुबन्ध की क्लाज-2 के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही न करके

संविदाकार को ₹24,81,517/- का अनुचित लाभ प्रदान किया गया प्रतीत होता है जिसके सम्बन्ध में नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा वर्णित अपेक्षित कार्यवाही करके दण्ड राशि की वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित किया जाए।

(घ) सेवा कर के रूप में काटी गई ₹4.34 लाख को संविदाकार को वापिस लौटानाः–

आबंटन पत्र की शर्त संख्या 11 के अनुसार उक्त कार्य के छठे चलत बिल तक संविदाकार से सेवा कर के रूप में ₹12,67,173 की वसूली की गई थी। अंकेक्षण में पाया गया कि उक्त कार्य की न्यायसंगत दरों का निर्धारण भी 12.36% on 40% "X" की दर से सेवा कर को जोड़ कर किया गया था तथा इन्हीं दरों के आधार पर ही संविदाकार द्वारा प्रस्तुत दरों को भी Justify किया गया था किन्तु चयनित माह के वाउचर संख्या 23 माह 10/2016 में उक्त सेवा कर की राशि में से ₹4,34,189 का वापस भुगतान ठेकेदार को करके अनुचित लाभ प्रदान किया गया प्रतीत होता है। अतः सेवा कर की अनुबन्ध प्रावधानों के अन्तर्गत वसूल की गई राशि को वापस ठेकेदार को लौटाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस राशि की वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित किया जाए।

(ङ) उक्त कार्य के छठे चलत बिल तक निम्नलिखित मदों में ₹65,30,018 का अत्याधिक विचलन पाया गया, जोकि आबंटन राशि का लगभग 26% था तथा जिसके लिए ठेकेदार को भुगतान से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अपेक्षित थी, जोकि नहीं ली गई। अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बिना ठेकेदार को भुगतान करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा नियमानुसार सम्बन्धित के विरूद्ध अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए:–

मद संख्या	मद का विवरण	अनुमानित मात्रा	निष्पादित मात्रा	भुगतान हेतु अनुमोदित दरें	विचलन
6.40	Providing form work, column,pillar etc	1053.78 Sq. mtr	1307.74 sq. mtr	200	50792
6.60	Providing form work, Beam, cantilevers etc	1516.50 Sq. mtr	1701.18 sq. mtr	250	46170
7	P/L CC 1:4:8	33.60 CUM	72.15 CUM	3500	134925
8	P/L CC 1:6:12	54.75 CUM	97.47 CUM	3200	136704
10.10	P/L mechanically mixed CC, foundation & footing	59.62 CUM	113.64 CUM	4500	243090
10.30	Suspended floor etc	361.82 CUM	414.24 CUM	4700	246374
10.40	Coulmn, pillar etc	96.98 CUM	127.51 CUM	4700	143491
13	Steel work	67134.20 kg	95750.63 kg	57	1631137
16	P/L CC 1:5:10	161.38 CUM	1232.58 CUM	2950	3160040
17	Providing weep hole in	19 Nos	308 Nos	170	49130

	brick masonary				
22	Stone filling	47.10 CUM	135.54 CUM	450	39798
47	P/F 10mm thick vitrified tiles	219.08 Sq. mtr	442.45 Sq. mtr	1450	323887
58.20	Steel work in grating,framed,guard,bar	76.28 Qtl	116.84 Qtl	8000	324480
	Total				6530018

(च) उक्त कार्य की मद संख्या 16 " P/L CC 1:5:10 में छठे चलत बिल तक अनुमानित मात्रा 161.38 CUM की अपेक्षा 1232.58 CUM का निष्पादन किया गया था, जोकि अनुमानित मात्रा से अप्रत्याशित रूप में 663.77% ₹31,60,040 अधिक था । इस प्रकार वर्णित मद में इतना अधिक विचलन पाया जाना निर्माण कार्य में उक्त मद की अनुमानित मात्रा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान करने हेतु अनुमानित मात्रा कम रखी गई थी, जिस बारे पूर्ण छानबीन उपरान्त वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त मद की कार्य प्रमात्रा में पाये गए विचलन को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

उक्त अनियमितता की सूचना अधिशाषी अभियन्ता को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 82 दिनांक 13.03.18 द्वारा दी गई थी, जिसके प्रत्युत्तर में पत्र संख्या HIMUDA/MD/AB/LAD-2016-7152 दिनांक 14.03.18 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त अनियमितता पर शीघ्र कार्यवाही कर ली जाएगी।

22 सेवा कर के रूप में ₹6.79 लाख की राशि संविदाकार को वापस लौटाना

चयनित माह के वाउचर संख्या 26 दिनांक 15.10.16 के अंकेक्षण में पाया गया कि निर्माण कार्य " C/o additional 12 Nos-T-III flats at PSFS Bilaspur" से सम्बन्धित सेवा कर के रूप में ठेकेदार के बिलों से ₹13,48,738/- की जो राशि वसूली गई थी, उसमें से उक्त वाउचर द्वारा ₹6,79,235/- का वापस भुगतान (Refund) ठेकेदार को करने के कारण अनुचित लाभ प्रदान किया गया प्रतीत होता है, क्योंकि एक तरफ ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत दरें सेवा कर को जोड़ कर Justify की गई थी एवं दूसरी तरफ उसको वसूली गई राशि पुनः भुगतान कर दी गई । अतः सेवा कर की वसूली गई राशि को ठेकेदार को वापस लौटाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण में पाया गया कि उक्त ₹6,79,235/- की प्रविष्टि निर्माण कार्य " C/o IDTR at Paplag Sarkaghat (SH: C/o Admin. Block) वही खाता पृष्ठ-141 को डेबिट की गई थी जिस बारे भी स्थिति स्पष्ट करते हुए लेखों में आवश्यक सुधार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

23 निर्माण कार्यों के अंतिम बिलों में बकाया राशि का भुगतान न करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मण्डल द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों को काफी समय पहले पूरा करके संबन्धित विभागों के सपुर्द कर दिया गया था लेकिन कार्यों के अंतिम बिलों में लम्बित राशि का भुगतान नहीं किया गया था । इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 39 दिनांक 01.02.18 द्वारा उक्त प्रकार के लम्बित अंतिम बिलों की सूची प्रस्तुत करने को कहा गया था जिसके संदर्भ में उपलब्ध सूचना के अनुसार विभिन्न उप-मण्डलों के लगभग 34 कार्यों के अंतिम बिल मण्डल के पास लम्बित थे जिनका विवरण **परिशिष्ट "ज"** में दिया गया है । अतः **परिशिष्ट**

"ज" में वर्णित बिलों का भुगतान न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित की जाए।

24 निर्माण कार्यों के आबंटन बारे :-

अंकेक्षण में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के चयनित माह में आबंटित लगभग सभी कार्यों हेतु केवल दो ठेकेदारों ने ही निविदाएँ भरी थी एवं उन्ही के आधार पर कार्य का आबंटन कर दिया गया था जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि निर्माण कार्यों का आबंटन उच्च दरों पर करके सविंदाकारों को अनुचित लाभ प्रदान किया गया था। अतः अंकेक्षण को स्पष्ट किया जाए कि कार्य के आबंटन के दौरान पूर्ण बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ क्यों नहीं उठाया गया था तथा प्रमाणित किया जाए कि ऐसा न करने से निर्माण मण्डल को कोई वित्तीय हानि नहीं हुई है।

25 निविदाएँ आमंत्रित किए बिना स्टील के क्रय में मैसर्ज सूद स्टील इंडस्ट्री को ₹12.71 लाख का अनियमित भुगतान :-

चयनित माह 10/2016 के वाउचर संख्या 70 का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि बिल संख्या 501 दिनांक 26.10.16 में मैसर्ज सूद इंडस्ट्री को निम्नविवरणानुसार स्टील के क्रय के एवज में ₹1271175 का भुगतान किया गया था, लेकिन स्टील के क्रय हेतु कोई निविदायें आमंत्रित नहीं की गई थी एवं न ही हिमाचल सरकार द्वारा अनुमोदित दरें अंकेक्षण के दौरान जांच हेतु प्रस्तुत की गई थी। यदि सामग्री का क्रय निविदायें आमंत्रित करके किया गया होता तो बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाया जा सकता था I अतः बिना निविदायें आमंत्रित किए की गई खरीद का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर इस अनियमित व्यय को नियमित करवाकर अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये:-

वा० सं०	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि (₹)
70 दिनांक 28.10.16	501 दिनांक 26.10.2016	8MM 10MT @41236/- ` 412360 12MM 5MT @39807/- ` 199035 16MM 10MT @39807/- ` 398070 20MM 5MT @39807/- ` 199035 VAT ` 60425 Other Charges ` 2250	1271175

26 बिना निविदायें आमंत्रित किए ₹1.01 लाख की सामग्री का क्रय करने सम्बन्धी अनियमितताः–

हिमाचल प्रदेश वित नियम 2009 के नियम 97 के अनुसार ₹3000 से अधिक की खरीद के लिए निविदायें आमंत्रित करना अनिवार्य है I अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के खर्चों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि मण्डल द्वारा निम्न विवरणानुसार विभिन्न सामग्री का क्रय बिना निविदायें आमंत्रित किए किया गया था। यदि सामग्री का क्रय निविदायें आमंत्रित करके किया गया होता तो बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाया जा सकता था I अतः बिना निविदायें आमंत्रित किए की गई खरीद का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में नियमों के अनुसार निविदायें आमंत्रित करने के उपरान्त ही मदों का क्रय करना भी सुनिश्चित किया जाएः–

उप-मण्डल	वाउचर संख्या	सामग्री का विवरण	राशि (₹)
कुल्लू,	2 दिनांक 05.10.16	Purchase of flowers	14500.00
	3 दिनांक 05.10.16	Tent house items	7200.00
	12 दिनांक 05.10.16	Inaugration plate/stone	13500.00
	13 दिनांक 05.10.16	Taxi bill No. 1392 Dated 10.09.16 M/s Brijeshwari Taxi Union	4000.00
	14 दिनांक 05.10.16	Tent house items	18300.00
बिलासपुर	4 दिनांक 15.10.16	Inaugration plate/stone	7000.00
	5 दिनांक 15.10.16	Dry Fruits etc	3794.00
	7 दिनांक 15.10.16	Purchase of flowers	11100.00
	8 दिनांक 15.10.16	Tent house items	21850.00
	Total		101244.00

27 चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों में ₹0.14 लाख का अनियमित भुगतान :-

चयनित माह 10/2016 के विभिन्न व्यय बिलों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार मण्डल के कर्मचारियों को ₹14135 का चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के रूप में पत्र संख्या RKS(MS)-Samiti-User Charges-528-37 Dated the, Shimla 19.05.17 में निर्धारित दरों से अधिक दरों पर भुगतान किया गया था, जिस का नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्त्रौत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:–

(क) उप-मण्डल कुल्लू के समायोजित वाउचर संख्या 28 दिनांक 31.10.16 में श्री फतेह सिंह को कुल्लू वैली अस्पताल (निजी) के चिकित्सा व्यय से संबन्धित दावों के रूप में ₹14248 का भुगतान किया गया था, जिसमें निम्नलिखित अनियमितायैं पाई गई :

(i) अंकेक्षण के दौरान उक्त निजी अस्पताल की सरकारी मान्यता से संबन्धित पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ii) उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे में निम्न विवरणानुसार ₹10200 का अनियमित रूप में अधिक भुगतान किया गया था :

टेस्टों का नाम	भुगतान राशि	नियमानुसार	अधिक

	(₹)	देय राशि (₹)	भुगतान (₹)
MRI	6300	2500	3800
Admission Charges	240	-	240
Pelvic Traction	1960	-	1960
Consultation Charges	990	-	990
Nursing Charges	795	-	795
RMO Charges	795	-	795
Bed Charges	1620	-	1620
कुल योग	**12700**	**2500**	**10200**

(ख) वाउचर संख्या 87 दिनांक 29.10.16 में श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा को श्री हरिहर अस्पताल गुटकर (निजी) के चिकित्सा व्यय से संबन्धित दावों के रूप में ₹12456/- का भुगतान किया गया था, में निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई :

(i) अंकेक्षण के दौरान उक्त निजी अस्पताल की सरकारी मान्यता से संबन्धित पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ii) उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे में निम्न विवरणानुसार ₹3935/- का अनियमित रूप में अधिक भुगतान किया गया था :

टेस्टों का नाम	भुगतान राशि	नियमानुसार देय राशि	अधिक भुगतान
Blood Sugar	25X 50= 1250	25X20=500	750
CBC, UREA, SPERM,URIC ACID, SPUR UREA, ELECTROLUTES SUGAR	900	290	610
CT SCAN (HEAD)	2875	300	2575
कुल योग	**5025**	**1090**	**3935**

28 धरोहर राशि का रजिस्टर तैयार न करनाः–

चयनित माह 10/2016 के विभिन्न निर्माण कार्य बिलों का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि विभिन्न संविदाकारों के चलत / अंतिम बिलों से धरोहर राशि की वसूली की गई थी लेकिन इस राशि की प्रविष्टियाँ धरोहर राशि के रजिस्टर में नहीं की गई थी जिसके अभाव में धरोहर राशि का संविदाकार को दोहरा / अधिक भुगतान की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। धरोहर राशि का रजिस्टर तैयार न करने से यह जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकती कि किसी निश्चित अवधि में मण्डल की कितनी देनदारियाँ धरोहर राशि के रूप में बकाया हैं। अतः धरोहर राशि का रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए नियमानुसार रजिस्टर तैयार करके समस्त धरोहर राशि की इसमे प्रविष्टियाँ सुनिश्चित की जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

29 111 बैग सीमेंट की भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टि न करना :-

सीमेंट भण्डार से सम्बन्धित अभिलेख का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निर्माण कार्य “C/o IDTR Sarkaghat (Admn. Block) से GR No. 5759 दिनांक 18.02.17 द्वारा 111 बैग सीमेंट वापिस किए गए थे लेकिन इनकी प्रविष्टि सीमेंट से संबन्धित बिन कार्डों में

नहीं की गई थी। इस अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 66 दिनांक 26.02.18 द्वारा निर्माण मण्डल के ध्यान में लाया गया था जिसके प्रत्युत्तर में पत्र संख्या HIMUDA/MD/AB/LAD-2016-7150 दिनांक 14.03.18 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त 111 बैग सीमेंट की प्रविष्टि बिन कार्ड संख्या 442 में कर दी गई है तथा जिसकी पुष्टि भी अंकेक्षण के दौरान कर ली गई थी। अतः भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृति रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

30 बिन कार्ड से 16 mm dia की स्टील की 1.153 मीट्रिक टन मात्रा कम जारी करना :-

16 mm dia स्टील के भण्डार से सम्बन्धित अभिलेख का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निर्माण कार्य " C/o GSSS Girl School Sarkaghat" को इंडेंट संख्या 9050 दिनांक 28.06.16 द्वारा 1.953 mt 16mm dia की स्टील जारी की गई दर्शाई गई थी जबकि बिन कार्ड संख्या 407 के अनुसार उक्त इंडेट के विरूद्ध केवल 0.800 mt स्टील ही जारी की गई थी जोकि 1.153 mt कम थी । वर्णित अनियमितता अंकेक्षण अधियाचना संख्या 67 दिनांक 26.02.18 द्वारा निर्माण मण्डल के ध्यान में लाई गई थी, जिसके प्रत्युत्तर में पत्र संख्या HIMUDA/MD/AB/LAD-2016-7154 दिनांक 14.03.18 द्वारा अंकेक्षण को दिया गया उत्तर संतोषजनक नहीं था। अतः उक्त बिन कार्ड एवं इंडेंट में दर्शाई अलग-2 स्टील की मात्रा बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट करके अंकेक्षण कों अवगत करवाया जाए।

31 बिन कार्ड से 12 mm dia की स्टील की 0.800 मीट्रिक टन मात्रा अधिक जारी करना :-

12 mm dia स्टील के भण्डार से सम्बन्धित अभिलेख का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निर्माण कार्य "C/o GSSS Girl School Sarkaghat" को इंडेंट संख्या 9050 दिनांक 28.06.16 द्वारा 1.164 mt 12mm dia की स्टील जारी की गई दर्शाई गई थी जबकि बिन कार्ड संख्या 404 में उक्त इंडेंट में 1.964 mt 12 mm dia स्टील जारी की गई थी अर्थात बिन कार्ड में इंडेंट में दर्शाई जारी मात्रा से 0.800 mt मात्रा अधिक जारी की गई थी वर्णित अनियमितता अंकेक्षण अधियाचना संख्या 68 दिनांक 26.02.18 द्वारा निर्माण मण्डल के ध्यान में लाई गई थी, जिसके प्रत्युत्तर में पत्र संख्या HIMUDA/MD/AB/LAD-2016-7153 दिनांक 14.03.18 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि बिन कार्ड संख्या 404 में गलती से 1.164 mt 12mm dia स्टील के स्थान पर 1.964 mt मात्रा दर्ज की गई थी जिसे अब ठीक कर दिया जाएगा। अतः उक्त गलती का सुधार करके संबन्धित अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित करते हुए भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृति रोकने हेतु भी आवश्यक कदम उठाए जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

32 **लघु आपति विवरणी :-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु लघु आपतियों का अंकेक्षण के दौरान स्थल पर ही निपटारा कर दिया गया ।

33 **निष्कर्ष :-**लेखों में सुधार की आवश्यकता है एवं पूर्व की अंकेक्षण प्रतिवेदनों में लम्बित पैरों पर उचित कार्यवाही करने के उपरान्त शीघ्र अतिशीघ्र समायोजित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

हस्ता/–
(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)172/92–खण्ड–13–5611–5613 दिनांकः 27.8.18
शिमला–09

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत 1. अधिशासी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल–मण्डी, जिला मण्डी को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2. अतिरिक्त मुख्य सचिव (आवास) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2

3. सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निगम बिहार, शिमला–2 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि इस प्रतिवेदन के पैरा 1 (ख) के सन्दर्भ में उचित कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

परिशिष्ट "क" अंकेक्षण प्रतिवेदन पैरा संख्या 1 (ग) से सन्दर्भित

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2000 से 03/2001

1 पैरा–44 अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2001 से 03/2002

1 पैरा–13 अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2003 से 03/2004

1 पैरा–7 अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2005 से 03/2006

1 पैरा–7 (1 से 4) अनिर्णीत

2 पैरा–9 अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2006 से 03/2007

1 पैरा–9 अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2007 से 03/2008

1 पैरा–7 (3) अनिर्णीत

2 पैरा–21 अनिर्णीत

3 पैरा–26 अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2008 से 03/2009

1 पैरा–11 (i) से (iii) अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2009 से 03/2010

1 पैरा–7 (ii) (iii) (iv) अनिर्णीत

2 पैरा–7 (vii) अनिर्णीत

3 पैरा–7 (xii) अनिर्णीत

4 पैरा–7 (xv) अनिर्णीत

5 पैरा–8 अनिर्णीत

6 पैरा–10 अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2010 से 03/2011

1	पैरा–6	अनिर्णीत	
2	पैरा–7 (i)	अनिर्णीत	
3	पैरा–9	अनिर्णीत	
4	पैरा–12 (ii)	अनिर्णीत	
5	पैरा–15	अनिर्णीत	
6	पैरा–16	अनिर्णीत	

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2011 से 03/2012

1	पैरा–4 (ख)	अनिर्णीत	
2	पैरा–7 (vii)	अनिर्णीत	
3	पैरा–9	अनिर्णीत	
4	पैरा–10	अनिर्णीत	
5	पैरा–12	अनिर्णीत	
6	पैरा–13	अनिर्णीत	
7	पैरा–14	अनिर्णीत	
8	पैरा–15	अनिर्णीत	

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2012 से 03/2013

1	पैरा–10 (iii)	निर्णीत	(₹2918 की वसूली ठेकेदार की सुरक्षा राशि से J.E. संख्या 15 माह 03/2017 में कर ली गई थी। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया)
2	पैरा–11 (i) (ii)	अनिर्णीत	
3	पैरा–12	अनिर्णीत	
4	पैरा–13	अनिर्णीत	
5	पैरा–14	अनिर्णीत	
6	पैरा–17	अनिर्णीत	

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2013 से 03/2014

1	पैरा–8	अनिर्णीत	
2	पैरा–9	अनिर्णीत	
3	पैरा–10	अनिर्णीत	
4	पैरा–11	अनिर्णीत	
5	पैरा–12	अनिर्णीत	
6	पैरा–16	अनिर्णीत	
7	पैरा–19	अनिर्णीत	
8	पैरा–20	अनिर्णीत	
9	पैरा–21	अनिर्णीत	
10	पैरा–23	अनिर्णीत	
11	पैरा–29	अनिर्णीत	

(ड) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2014 से 03/2015

1	पैरा–8 (ख)	अनिर्णीत	
2	पैरा–11 (क) (ख)	अनिर्णीत	
3	पैरा–12 (ग)	अनिर्णीत	
4	पैरा–13 (ख), (ग) (घ)	अनिर्णीत	
5	पैरा–14 (क) (ख)	अनिर्णीत	
6	पैरा–15 (क, ख, ग)	अनिर्णीत	
7	पैरा–16 (क, ख)	निर्णीत	(₹1794 की वसूली ठेकेदार की सुरक्षा राशि से J.E. संख्या 19 माह 11/2017 में कर ली गई थी। अतः पुष्टि के उपरान्त पेरे का समायोजन कर दिया)
8	पैरा–17 (क)	निर्णीत	(₹534 की वसूली रसीद संख्या 0163392 दिनांक 20.2.18 द्वारा ठेकेदार श्री मुनीश नेगी से कर ली गई। अतः पुष्टि के उपरान्त पेरे का समायोजन कर दिया)

9	पैरा–17 (ख)	अनिर्णीत	
10	पैरा–19	अनिर्णीत	
11	पैरा–21	अनिर्णीत	
12	पैरा–22 (क, ख)	अनिर्णीत	
13	पैरा–23 (क, ख, ग, घ)	अनिर्णीत	
14	पैरा–24	अंशतः निर्णीत	

(ढ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2015 से 3/2016

1	पैरा–4 (क)	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 4 में प्रारूपित कर दी गई है)
2	पैरा–4 (ख)	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 4 में प्रारूपित कर दी गई है)
3	पैरा–4 (ग)	अनिर्णीत	
4	पैरा–5	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 5 में प्रारूपित कर दी गई है)
5	पैरा–6	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 6 में प्रारूपित कर दी गई है)
6	पैरा–7	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 7 में प्रारूपित कर दी गई है)
7	पैरा–8 (क) (ख) (ग)	निर्णीत	(पाँचवे चलत से वसूली कर ली गई थी। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया)
8	पैरा–9 (क) (ख)	निर्णीत	(पाँचवे चलत से वसूली कर ली गई थी। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया)

9	पैरा–10 (क)	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया)
10	पैरा–10 (ख)	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया)
11	पैरा–10 (ग)	अनिर्णीत	
12	पैरा–10 (घ)	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया)
13	पैरा–10 (ङ)	निर्णीत	(Test Report and consumption seen and verified hence para settled)
14	पैरा–11 (क, ख)	अनिर्णीत	
15	पैरा–12	निर्णीत	(Due to reduction in scope of work as approved by the competent authority balance HDPE pipe (114 RMT) was taken in Bin Card No. 412 facts verified & sanction sseen)
16	पैरा–13	अनिर्णीत	
17	पैरा–14 (क, ख)	निर्णीत	(Deviation statement approved by the competent authority hence para settled)
18	पैरा–15	निर्णीत	(₹1560 की वसूली ठेकेदार से माप पुस्तिका 1594 के पृष्ठ 76 में 9वें चलत बिल से कर ली गई थी। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया)
19	पैरा–16 (क)	निर्णीत	(₹4525 as account of 25 bags cement `181 per bag was recovred from the contractor vide agreement No. 37 of 2014-15 (kull))
20	पैरा–16 (ख)	निर्णीत	(No serviceable material found during demolition of item, hence para settled)
21	पैरा–17 (क, ख)	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया)
22	पैरा–18	अनिर्णीत	
23	पैरा–19	निर्णीत	(Para settled in view of reply submitted & further verification of record)
24	पैरा–20	अनिर्णीत	

25	पैरा–21	अनिर्णीत	
26	पैरा–22	निर्णीत	(Para settled in view of reply submitted & further verification of record)
27	पैरा–23	अनिर्णीत	
28	पैरा–24 (क)	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया)
29	पैरा–24 (ख)	अनिर्णीत	
30	पैरा–24 (ग)	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया)

(ण) नगर विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित पैरेः–

(i) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1997 से 03/1998

पैरा–22 (9) अनिर्णीत

(ii) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1999 से 15.01.2001

पैरा–51 अनिर्णीत